भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2408

दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय भाषाओं का विकास और उन्नति

† 2408. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय भाषाओं, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और उन्नति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) देश भर में और विश्व स्तर पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं सहित सभी भाषाओं के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) द्वारा शुरू की गई योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार तमिल भाषा के विकास और संवधर्न के लिए एक पृथक संस्थान बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की है। केन्द्रीसय भारतीय भाषा संस्थाान (सीआईआईएल) मैसूर संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य करता है। हिंदी, उर्दू, सिंधी और संस्कृ त भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए अलग संस्था न भी अस्तित्वी में हैं। सीआईआईएल भाषाओं के विकास के लिए विश्वयविद्यालयोंसंस्थाकन्नोंराज्यं सरकार के संस्थाानों आदिसहित विभिन्ना हितधारकों के साथ

मिलकर कार्य करता है। सीआईआईएल भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए भारतवाणी, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, लिंग्यूास्टिक डेटा कंसोर्टियम ऑफ इंडियन लेंग्वेरज आदि जैसी अपनी विभिन्न स्कीिमों और परियोजनाओं के माध्यम से कार्य करता है। सीआईआईएल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआई), मोका, मॉरिशस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमजीआई द्वारा मॉरिशस में हिंदी, तमिल, तेलुगू सहित भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।

(घ): केंद्र सरकार ने शास्त्रीय तमिल के विकास, संवर्धन और उन्नति के लिए पहले ही चेन्नई में केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की स्थापना कर दी है।

******